चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 13.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 13.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष राजापुर श्री प्रवीण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त रामराज पुत्र स्व0 बृजभूषणद उम्र 38 वर्ष निवासी कनकोटा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 01 अदद देशी तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

01 अदद तमंचा 12 बोर

02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह थाना राजापुर

2.उ0नि0 श्री अनुराग सिंह

3.मुख्य आरक्षी मुकेश कुमार

4.आरक्षी बुद्धसेन विक्रम

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में चौकी सीतापुर पुलिस ने गैर-इरादतन हत्या के प्रयास के 03 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 07.04.2025 को वादी श्री गेंदालाल निषाद पुत्र चौबा निवासी तीर्थराजपुरी चौकी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट ने सूचना दी कि माँ कलावती,भाभी निर्मला,सुरेश व मुरैली खेत में सब्जी की निराई गुड़ाई कर रहे थे तभी अभियुक्तगण 1.मुन्नीलाल पुत्र गिरधारी 2.मुकेश 3.रमेश 4.महेश पुत्रगण मुन्नीलाल निवासीगण तीर्थराजपुरी चौकी सीतापुर जनपद चित्रकूट द्वारा लाठी,डण्डा,कुल्हाड़ी,हसिया,फरसा लेकर हमला करने लगे जिससे सतानन्द,माँ कलावती को गम्भीर चोट आने के कारण बेहोश हो जाना,भाभी निर्मला को दाहिने हाथ में चोट आना, भाई मुकेश के हाथ की अंगूली में चोट लगने के कारण अंगुली कट जाना तथा जान बचाने पर घर में घुसकर छोटे बच्चों के साथ मारपीट करना । इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 213/2025 धारा 110,115(2),351(2),352,333,118(1),125 बीएनएस बनाम उपरोक्त अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 13.05.2025 को चौकी प्रभारी सीतापुर उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 1. रमेश निषाद 2. महेश निषाद पुत्रगण मुन्नीलाल 3.मुन्नीलाल पुत्र गिरधारी निवासीगण तीर्थराजपुरी चौकी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता चौकी प्रभारी सीतापुर

2.आरक्षी अभिषेक प्रताप सिंह

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री शिवआसरे एवं पैरोकार आरक्षी हरेन्द्र कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश ग्राम न्यायालय मऊ श्री एस0 आनन्द द्वारा आज दिनाँक 13.05.2025 को थाना बरगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 14/1993 धारा 379,411 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.संतोष कुमार पुत्र भुग्गल शुक्ला निवासी पोरेमोहन थाना प्रतापगढ़ कोतवाली जनपद प्रतापगढ़ 2.राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री निवास शुक्ला 3.भूक्ली पुत्र चिरकू 4.रामचन्द्र पुत्र रामेश्वर मिश्रा निवासीगण ग्राम पोरेमोहन थाना कोतवाली प्रतापगढ़ जनपद प्रतापगढ़ को 2000/- 2000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष राजापुर श्री प्रवीण सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राम व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त बुद्धू सोनकर उर्फ गब्बर पुत्र विश्राम सोनकर उम्र 30 वर्ष निवासी भैरम बाबा कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट 25 अदद देशी शराब ग्रैंड मस्तीहू के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय थाना राजापुर

2.आरक्षी चन्दन विश्वकर्मा

(7). आज दिनाँक 13.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा बीट प्रणाली का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कराये जाने के सम्बन्ध में पुलिस कार्यालय के चैंबर में थाना/चौकी में तैनात बीट पुलिस अधिकारियों की बीट बुक को चेक किया गया एवं बीट प्रणाली को सुदृढ़ बनाए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस रेगुलेशन के पैरा -63 के अनुसार कानून व्यवस्था एवं अपराध पर नियंत्रण हेतु पुलिस हल्कों एवं बीट व्यवस्था में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से बताया गया तथा बीट अधिकारियों के कर्तव्य एवं अधिकार जैसे ग्राम प्रहरियों का दायित्व,सी-प्लान एप का उपयोग,बीट क्षेत्र में लाइसेन्स धारकों,पासपोर्ट धारकों,सम्भ्रान्त व्यक्तियों के नाम बीट बुक में दर्शाने,थाने पर प्राप्त सभी प्रकार के बीट सम्मन,नोटिस,वारण्ट, प्रार्थना पत्र जांच,चरित्र सत्यापन,विवेचना सम्बन्धित पासपोर्ट,तामिला,क्षेत्रीय त्यौहारों एवं अन्य बीट कार्य के सम्बन्ध में पूंछा गया तथा विस्तृत रूप से बताया गया।

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह व उनकी टीम द्वारा हत्या के प्रयास के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 12.05.2025 को आवेदक रोहित सिंह पुत्र जागेश्वर सिंह निवासी हिनौता माफ़ी थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट ने सूचना दी कि दिनांक 09.05.2025 की शाम 07.30 बजे रामलखन यादव पुत्र सौआ के साथ गांव के बाहर खेत पर बैठे थे कि रामलखन किसी बात को लेकर लड़ने लगा और जमीन पर गिराकर जूते का फीता निकालकर जान से मारने की नियत से गले में फंदा लगा दिया । इस सूचना पर थाना भरतकूप में मु0अ0सं0

81/2025 धारा 109 बीएनएस बनाम रामलखन यादव पुत्र सौंआ निवासी हिनौता माफी थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 13.05.2025 को उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त बनाम रामलखन यादव पुत्र सौंआ निवासी हिनौता माफी थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह थाना भरतकूप

2.आरक्षी नरेन्द्र सिंह